रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 अगस्त, 2000/26 श्रावण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 17 अगस्त, 2000

संख्या 1-50/2000-वि० स०.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन)

1513-राजपत्र/2000-17-8-2000--1,372. (2511) मूल्य : 1 रुपया।

धेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 17 अगस्त, 2000 को हिमाचल देश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2000 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयक, 2000

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

उद्देशिका का संशोधन

1987 का 4

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की उद्देशिका में, "हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय", शब्द रखे जाएंगे ।

धाराएं 2, 1 12, 14, 35 और 5 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धाराओं 2, 11, 12, 14, 19, 35 और 51 में "हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" शब्दों के लिए, जहां कहीं ये आए ह, "चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय शब्द रखे जाएंगे ।

अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची में, "विश्वविद्यालय का नाम" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या एक के सामने "हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वर्गीय चौधरी सरवण कुमार द्वारा जनता के लिए विशेषकर प्रदेश की पददलित जनता के प्रति की गई सेवा को, हम कदापि नहीं भुला सकते । उन्होंने प्रदेश की पददलित जनता को ऊपर उठाने के लिए अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया । उन्होंने उच्च लोक पदों पर रहकर जनता की परम श्रद्धा के साथ सेवा की और उनके हितों की सुरक्षा की । उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलभूत कार्य किया, जो इस पहाड़ी राज्य में कृषि के क्षेत्र में, गरीब किसानों क समग्र विकास के लिए एक महान परिसम्पत्ति सिद्ध हुआ ।

आने वाले समय में स्वर्गीय सरवण कुमार की सेवाओं को स्मरण करने और उन्हें उपयुक्त सम्मान देने तथा ऐसे समर्पित नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, विद्यमान "हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" को "चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय" के नाम से पुनः नामित करने का विनिश्चय किया गया है । इस लिए हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ।

विद्या सागर,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख....., 2000.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (*Act No.* 4 *of* 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2000.

Amendment of the Preamble.

2. In the preamble of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for the words "Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya", the words "Chaudhary Sarwan Kumar Krishi Vishvavidyalaya" shall be substituted.

4 of 1987

Amendment of sections 2, 11, 12, 14, 19, 35 and 51.

3. In sections 2, 11, 12, 14, 19, 35 and 51 of the principal Act, for the words "Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya", wherever these occur, the words "Chaudhary Sarwan Kumar Krishi Vishvavidyalaya" shall be substituted.

Amendment of Schedule.

4. In Schedule appended to the principal Act, against Sr. No. 1 under the heading 'Name of the University', for the words "The Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya", the words "Chaudhary Sarwan Kumar Krishi Vishvavidyalaya" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

We cannot forget the yeoman service rendered by Late Chaudhary Sarwan Kumar to the public at large and especially to the downtrodden people of the Pradesh. He sacrificed and devoted his whole life for the upliftment of downtrodden people of the Pradesh. He served the people with utmost devotion and safeguarded their interests while holding high public offices. He played a very significant and pivotal role for the establishment of Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya at Palampur which proved a great asset for the overall development of the poor farmers of this hilly State in the field of agriculture.

In order to memorize the services of Late Chaudhary Sarwan Kumar in times to come and give befitting honour and pay a tribute to such a dedicated leader it has been decided to re-name the existing Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya in the name of Late "Chaudhary Sarwan Kumar Krishi Vishvavidyalaya". This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIDYA SAGAR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The , 2000.

FINANCIAL MEMORAMDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।